बिहार सरकार

परिवहन विभाग,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
दूरभाष संख्या–0612–2547448

विज्ञापन संख्या–स0 सु0/लीड एजेन्सी (नि0)–05–23/2018 (भाग–2)..........दिनांक–...............

आवेदित पद का नाम :–...

Photo

1. आवेदक का नामः–...
2. आवेदक के पिता/पति का नामः–...
3. स्थायी पताः–...
....
4. पत्राचार का पताः–...
....
5. मोबाईल नं0:–...ई–मेल आई.डी...
6. जन्म तिथिः–...दिनांक 01.11.2022 को उम्रः–...
7. आरक्षण कोटिः–...
8. शैक्षणिक योग्यताः–...
9. तकनीकी योग्यताः–...
10. पद/वेतनमान (जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं):–..
11. पूर्व अनुभव (अवधि सहित):–...
12. पुरस्कार/मेडल(यदि प्राप्त हुआ हो तो):–...
13. सेवा अवधि में कभी दण्डात्मक कार्रवाई हुई हो तो उसका विवरणः–...
....
14. लंबित विभागीय कार्यवाहीः–...
15. किसी Case में Conviction हुआ हो अथवा लंबित हो, तो उसका विवरणः–........................
....
16. कार्य अनुभव का ब्यौरा (अवधि का स्पष्ट उल्लेख तिथि सहित):–..
....

(नोटः–सभी प्रमाण पत्रों (शैक्षणिक एवं अनुभव) की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।

घोषणा

मैं...यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सारी जानकारी/सूचना सत्य है तथा इनकें गलत पाए जाने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)

नियोजन हेतु सामान्य शर्तेः—

1. उक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन प्रथमतः एक वर्ष के लिए किया जाएगा। उसके बाद उनके कार्यकलापों, आवश्यकता एवं उनकी सेवा संतोषजनक पाये जाने पर एक—एक वर्ष के लिए सेवा विस्तारित की जा सकेगी। सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के मामले में अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।
2. सेवानिवृत सरकारी पदाधिकारी के वेतन/मानदेय का निर्धारण बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों के अनुरूप किया जायगा।
3. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायगा।
4. वैसे आवेदक, जिन पर कोई आपराधिक मामला अथवा निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन हो; का चयन नहीं किया जायगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका दावा मान्य नहीं होगा।
6. अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग—सह—सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित करते हुये अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
7. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि में उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये कोई अलग आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग—सह—सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना द्वारा निर्गत किया जायगा।
9. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायगा।

28/11/12

राज्य परिवहन आयुक्त—सह—प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।